उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.uk.gov.in

पत्रांक 5317 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/IIIB दिनांक : 06/11/26

कार्यालय ज्ञाप

M/s East India Udyog Ltd. द्वारा अनुबन्ध संख्या 192 दिनांक 13.02.2026 के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले Control Centre & Disaster Recovery Centre Software के Factory Acceptance Test (FAT) हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय, उपाकालि के अनुमोदन संख्या 7203 दिनांक 16.09.2026 के द्वारा श्री मोहन मित्तल, अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0(दक्षिण), देहरादून व अतिरिक्त कार्यभार अधि0अभि0(आर0ए0पी0डी0आर0पी0–ए)/ स्काडा, वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, उपाकालि, देहरादून व श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (आर0ए0पी0डी0आर0पी0–ए/स्काडा), वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, उपाकालि, देहरादून को दिनांक 16.11.2026 से दिनांक 18.11.2026 तक M/s Spintech, Brasilia Technology Part, Brasilia, Brazil में निरीक्षण कार्य सम्पादित करने हेतु नामित/अधिकृत करते हुये विदेश गमन की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न उक्ति है कि :–

–कि सम्बन्धित अधिकारियों की उपरोक्त विदेश यात्रा पर कुल परिव्यय एवं धन का स्रोत Official होगा।

–कि श्री मोहन मित्तल, अधिशासी अभियन्ता एवं श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता का क्रमशः भारतीय पारपत्र सं0 BA194532 व BA194087 है।

–कि उक्त यात्रा विभागीय है, तथा उक्त नामित अधिकारी किसी भी राजनैतिक/असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे।

–कि उनके विरूद्ध कोई विभागीय अवशेष (विविध अग्रिम आदि) लम्बित नहीं है।

–कि उनके विरूद्ध कोई सतर्कता (राज्य या विभागीय) लम्बित नहीं है।

–कि सम्बन्धित अभियन्ता अधिकारियों के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि:–

(अ) उनके विरूद्ध कोई परिषदीय/कारपोरेशन का अवशेष लम्बित नहीं है,

(ब) कोई सतर्कता राज्य परिषद/कारपोशेन जॉच लम्बित नहीं है।

(स) अधिकारी जिस विभाग में कार्यरत हैं, उस विभाग के कार्य में किसी प्रकार कोई भी व्यवधान नहीं होगा, व

(द) उनके द्वारा Passport Act, 1967 की धारा–6(2) का अध्ययन कर लिया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के संदर्भ में उक्त धारा–6(2) के प्राविधान आकर्षित नहीं होते।

श्री मोहन मित्तल, अधिशासी अभियन्ता व श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता को उपरोक्त निरीक्षण कार्य सम्पादित करने हेतु विदेश गमन (ब्रासीलिया–ब्राजील) दिनांक 13.11.2026 से दिनांक 22.11.2026 तक (Including Travelling Time) के लिये नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के अनुरूप स्टेशन छोड़ने की अनुमति सहित अनापत्ति, इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान की जाती है कि उक्त अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी एवं विदेश गमन से पूर्व उनके द्वारा समस्त औपचारिकतायें (Proceedural Formalities) पूर्ण कर ली जायेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 5317– अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/IIIB, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ ऑफिसर–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक(वितरण एवं परियोजना), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक(तकनीकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक(वित्त) वेतन एवं भत्ते, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाईल।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)